रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 768] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 26, 2014/चैत्र 5, 1936
No. 768] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 26, 2014/CHAITRA 5, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2014

का.आ. 897(अ).– यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1521 (अ), तारीख 24.06.2010 द्वारा उत्तरप्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 93 के 0.000 किमी से 79.000 कि.मी (आगरा –अलीगढ़) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" संदर्भित किया गया है) को सौंपा है;

और यतः, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, आगरा –अलीगढ़ सेक्शन के विद्यमान 0.000 किमी से 79.000 कि.मी तक (डिजाइन चैनेज 0.000 कि.मी. से 81.400 कि.मी.) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त खण्ड" संदर्भित किया गया है) का डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर पेव्ड शोल्डर्स सहित दो लेन में विकास करने हेतु 21.06.2010 को प्राप्त हुई बोलियों के लिए मैसर्स बृज भूमि एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय ए–608, दुर्गा पार्क के समीप, कमला नगर मेन मार्केट आगरा–282005, उत्तर प्रदेश में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "रियायतग्राही" संदर्भित किया गया है), के साथ 23.12.2010 को करार तथा 07.02.2013 को अनुपूरक करार किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त करार" संदर्भित किया गया है)।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम 2008, जिसे सा.का.नि. 838 (अ), तारीख 05 दिसम्बर, 2008 द्वारा प्रकाशित किया गया था, (जिसे इसमें इसके पश्चात् "नियम" संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन, पर हुए व्यय, निवेशित पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात का दबाव और प्राधिकरण तथा रियायतग्राही के बीच हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि रारा–93 के विद्यमान 0.000 कि.मी. से 79.000 कि.मी. तक (डिजाइन चैनेज 0.000 कि.मी. से 81.400 कि.मी.) आगरा–अलीगढ़ सेक्शन के पेव्ड शोल्डर्स सहित दो लेन के उपयोग के लिए स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर सड़क खण्ड की निवल लम्बाई लगभग 80.00 कि.मी. के लिए नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" संदर्भित किया गया है) के 60% के हिसाब से शुल्क उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत किया जाएगा और उक्त रियायतग्राही को वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को और उस तारीख से, अथवा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन दर, जो भी बाद में हो, समापन की तारीख तक, जैसाकि करार में विनिर्दिष्ट किया गया है, शुल्क को संग्रहीत और प्रतिधारित करने हेतु प्राधिकृत करती है;

सारणी 1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
भारी संनिर्माण मशीनरी (भा.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.व.) (तीन से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्ग्रहीत तथा संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित टोल प्लाजा पर ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु, पेव्ड शोल्डर सहित 2.–लेन के लिए ऊपर उल्लिखित आधार दर के 60% के हिसाब से, शोध्य और संदेय होगाः

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (डिजाइन चैनेज)	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है
आगरा जिले में बरोस गांव के पास 14.945 कि.मी. पर (विद्यमान चैनेज 15.00 कि.मी.)	40.00
अलीगढ़ जिले में मदरक गांव के पास 71.820 कि.मी. पर (विद्यमान चैनेज 69.375 कि.मी.)	40.00

2. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर–वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस कि.मी. तक की दूरी में ही रहता हो उसके लिए वर्ष 2013–14 के लिए मासिक पास की दर 215.00 रूपए (दो सौ पन्द्रह रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा ।

3. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जायेगा, अर्थात्:

संदेय धनराशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो–तिहाई	50 (पचास) या अधिक	संदाय की तारीख से एक मास

4. जो यांत्रिक वाहन अपने श्रेणी के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके ड्राइवर या मालिक या प्रभारी व्यक्ति को अधिक भार से लदे हुए उस वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रवेश कराने के लिए ऐसी श्रेणी के यांत्रिक वाहन के लिए लागू शुल्क के दस गुना के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे तब तक राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

5. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

6. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

7. ऊपर सारणी 1 में यथा–उल्लिखित, आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति कि.मी शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना प्राधिकरण द्वारा परियोजना की लंबाई के पूरे कर लिए भाग के लिए की जाएगी। उसे प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही के माध्यम से अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम–से–कम एक–एक समाचारपत्र में प्रकाशित कराया जाएगा और तत्पश्चात् उक्त नियमों के नियम 5 और रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार उसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा, तथा प्रकाशित किया जाएगा, परन्तु शर्त यह है कि शुल्क में पिछली बार किए गये संशोधन की तारीख से छह मास की अवधि के अन्दर कोई संशोधन नहीं किया जाएगा।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/सीओ/640/11–12/जीसी–आगरा–अलीगढ़ बीओटी]
अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26 th March, 2014

S.O. 897(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1521 (E), dated 24.06.2010 issued under section 11 of the National Highways Authority of

India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 0.000 to kilometer 79.000 (Agra-Aligarh) of National Highway No. 93 in the State of Uttar Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And Whereas, pursuant to the provision of section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988(68 of 1988), the Authority has entered into an Agreement on 23.12.2010 and Supplementary Agreement dated 07.02.2013 (hereinafter referred to as said agreement) with M/s Brij Bhoomi Expressway Private Ltd. having its registered office at A-608, Near Durga Park, Kamala Nagar Main Market, Agra-282005, Uttar Pradesh (hereinafter referred to as the "Concessionaire"), for the bids received on 21.06.2010, for the development of Agra-Aligarh section from **existing km 0.000 to kilometer 79.000 (design ch. from km 0.000 to km 81.400)** (hereinafter referred to as the "said section") to two lane standards with paved shoulders on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) basis.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R 838(E) dated 5th December, 2008 (hereinafter referred to as the "Rules"), the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the agreement entered into between the authority and the concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of two lane with paved shoulder Agra-Aligarh section from existing km 0.000 to km 79.000 (design ch. from km 0.000 to km 81.400) of NH-93, on the Type of Vehicles specified in column(1) at 60% of the rate specified in column (2) (hereinafter referred to as "base rate") of Table 1 below for net road length of approx 80.00 km, and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the date of commercial operation or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement: —

TABLE 1

Type of vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck	2.20
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (three to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for the distance specified for such Toll Plaza(s) at 60% of the above mentioned base rate for 2-lane with paved shoulder:

Location of Toll Plaza(s) (Design chainage)	Length (in km) for which Fee is payable
At km 14.945 (existing chainage km 15.00) near village Baros in Dist. Agra	40.00
At km 71.820 (existing chainage km 69.375) near village Madrak in Dist. Aligarh	40.00

2. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 215.00 (Rupees Two Hundred and Fifteen only) for the year 2013-14, which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

3. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty or more single journey	50 (Fifty) or more	One month from date of payment

4. The driver or owner or a person in charge of a Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the toll collecting agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicle and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

IndiaCode

5. All definitions, category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.

6. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said Rules.

7. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority for the completed portion of length of the project. The same shall be got published by the Authority in at least one newspaper, each in English and vernacular language through the Concessionaire and thereafter revised annually in accordance with the rule 5 of the said Rules and provisions of the Concession Agreement and will be published provided that no revision shall be effected within a period of six months from the date of the preceding revision of fee.

[F. No. NHAI/13013/CO/ 640/ 11-12/GC- Agra-Aligarh BOT]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.